बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्रेषक, सं०सं०–पि०व०/02/ब० एवं आ०–17–07/2022 – 96. पटना, दिनांक– 10/09/2026.

ऋषि कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार/प्रदर्शन एवं श्रावणी मेला, 2026 के अवसर पर गरीबधाम, मुजफ्फरपुर में कावंरियों/श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षित विश्राम आदि हेतु पंडाल हेतु पंडाल आदि की व्यवस्था हेतु कुल राशि रू० 3,25,000/– (रू० तीन लाख पच्चीस हजार) मात्र का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक–543, दिनांक–31.07.2026 द्वारा विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार/प्रदर्शन हेतु श्रावणी मेला, 2026 के अवसर पर गरीबधाम, मुजफ्फरपुर में कावंरियों/श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षित विश्राम आदि हेतु पंडाल हेतु पंडाल आदि की व्यवस्था हेतु कुल अधियाचित राशि रू० 5,00,000/– (रू० पाँच लाख) मात्र के आलोक में तत्काल रू० 3,25,000/– (रू० तीन लाख पच्चीस हजार) मात्र आवंटित किया जाता है।

2–उक्त संपूर्ण आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या –11 मुख्य शीर्ष 2251–सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 090–सचिवालय, उप शीर्ष 0024–पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, विषय शीर्ष 26. 01–विज्ञापन और प्रकाशन, विपत्र कोड संख्या–11-2251–00–090–0024 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3–इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी किये जाने के पश्चात इसे बही अंतरण (Book Transfer) के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी०एल० खाता संख्या–PTSPLA007 के Ledger Name- FAIR EXHIBITION AND ADVERTISEMENT तथा Ledger id-24162 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना द्वारा किया जायेगा। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04. 1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों एवं विभागीय परिपत्रों में निहित निदेशों/प्रावधान के आलोक में करेंगे।

5–उक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
10/09/2026
(ऋषि कुमार),
सरकार के संयुक्त सचिव।

P.T.O

Scanned with OKEN Scanner

पटना, दिनांक– 10/09/2026

ज्ञापांक– पि०व०/02/ब० एवं आ०–17–07/2022 –96

प्रतिलिपिः–(1) महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(1) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) आई०टी०मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(5) माननीया मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10/09/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner